

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2020-कार्तिक 4, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2020

शुद्धि-पत्र

क्र. 84 (5)-वि.निर्वा.-चार-2020-उपचुनाव-114.- भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3 - 4 - ID - 2020 - SDR -VOL.II-653, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 एवं उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरुण कुमार तोमर, सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 19th October 2020

CORRIGENDUM

No.3-4-ID-2020-SDR-VOL II.- In the Hindi Version of the Commission's Order No.3-4-ID-2020-SDR-VOL II, Dated 14th October, 2020 Under item no. (iii) of the Para 7 for the phrase "बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड the phrase बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक shall be substituted.

By order,
Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

शुद्धि-पत्र

सं. 3-4-आई. डी.-2020-एस.डी.आर.-खण्ड-II- आयोग के आदेश सं. 3-4-आई.डी.-2020-एस.डी.आर.-खण्ड-II, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद सं. (iii) में बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर 'बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' को प्रतिस्थापित किया जाए.

आदेश से,
हस्ता./
(एन. टी. भूटिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.